प्रेस नोट
दिनांक 24.03.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 35 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर–जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर–जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 35 गैर–जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना–वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है– थाना को0 देहात पुलिस ने 02, थाना इटियाथोक पुलिस ने 05, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 04, थाना मोतीगंज पुलिस ने 02, थाना तरबगंज पुलिस ने 03, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 05, थाना परसपुर पुलिस ने 09, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.03.2026</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 10,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 22.11.2021 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 07 वर्ष के साथ उसके विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो0 खलील द्वारा छेड़छाड़ की गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 खलील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 25.01.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 24.03.2026 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना, थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त मो0 खलील को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. मो0 खलील पुत्र जमील अहमद नि0 ग्राम धौरा टांडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली हालपता धनवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-337/2022, धारा 354ए(2) भादवि व 9एम/10 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>